

## विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(प्रश्न अनुभाग)

संख्या : 277/वि०स०/०७(प्र)/२०१२

लाखनऊ, दिनांक 13 अप्रैल, 2015

प्रेषक,

श्री प्रदीप कुमार दुबे,  
प्रमुख सचिव।

सेवा में,

- ~1-मुख्य सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन,
- 2-प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन,  
सचिवालय के समस्त विभाग।

विषय :—उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा के प्रथम सत्र, 2015 के सत्रावसान के फलस्वरूप व्यपगत प्रश्न तथा सूचनाएं।

महोदय,

मुझे आपको यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल द्वारा दिनांक 10 अप्रैल, 2015 से उत्तर प्रदेश विधान सभा के वर्ष 2015 के प्रथम सत्र का सत्रावसान कर दिये जाने के फलस्वरूप लम्बित सभी प्रश्न तथा सूचनाएं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-18 के अन्तर्गत व्यपगत हो गयी हैं, परन्तु जो प्रश्नं कार्य-सूची में प्रविष्ट हो चुके हैं और विगत सत्र की समाप्ति पर स्थगित किये गये थे तथा उत्तर के लिये लम्बित थे, वे व्यपगत नहीं होंगे।

2-सत्रावसान के फलस्वरूप व्यपगत प्रश्नों के संबंध में उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश (चौदहवां संस्करण) के निदेश संख्या-28 (प्रति संलग्न) के अनुसार मुझे आपको यह भी सूचित करना है कि सत्रावसान की तिथि तक जितने भी प्रश्न स्वीकृत किये जा चुके हैं उन सबके लिखित उत्तर यदि सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों द्वारा सत्रावसान की तिथि से एक माह के अन्दर प्रश्नकर्ता सदस्यों के पास प्रेषित कर दिये जाते हैं और उनके लिखित उत्तर प्रेषित किये जाने की सूचना उत्तर की एक प्रति सहित उक्त कालावधि के भीतर विधान सभा सचिवालय में प्राप्त हो जाती है, तो उन्हें उत्तरित मान लिया जायेगा।

संलग्नक-यथोक्त

भवदीय,

प्रदीप कुमार दुबे,  
प्रमुख सचिव।

संख्या : 277(1-4)/वि०स०/०७(प्र)/२०१२, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित :--

- 1-मा० मुख्य मंत्री, समस्त मा० मंत्रियों तथा मा० राज्य मंत्रियों के निजी सचिवों को (मा० मंत्रियों की सूचनार्थ),
- 2-उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग,
- 3-प्रमुख सचिव, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश,
- 4-विधान सभा सचिवालय के समस्त अधिकारीगण एवं अनुभाग ।

नरेश चन्द्र,

विशेष सचिव ।

